(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारां

पीठासीन अधिकारी मोहम्मद अबूबक्र (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 19/2019

बउनवान

कालूराम आयु 65 वर्ष पुत्र देवलाल जाति मीणा निवासी रीछडी जागीर तहसील छबडा जिला बारॉ
(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, छबडा जिला बारॉ
(रेस्पोडेन्ट)

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित :– 1– श्री अरविन्द सिंह हाडा अभिभाषक (अपीलांट)
2– पेरोकार सरकार (रेस्पोडेन्ट)

निर्णय दिनांक 16.12.2019

अपीलांट ने यह अपील जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबडा के प्रकरण संख्या 576/2019 के अन्तर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम में पारित निर्णय दिनांक 11.10.2019 के विरूद्व अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट को वाके ग्राम रीछडी जागीर तहसील छबडा की सरकारी भूमि किस्म सिवायचक पर सम्वत् 2076 में खसरा नम्बर 53 की रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर फसल मक्का की बोई जाकर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 3 माह (90 दिन) की सिविल कारावास की सजा एवं तावान राशि 125/– रूपये से दण्डित किया है। उक्त निर्णय की पालना मे अपीलांट को जेल भिजवा दिया गया है। जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील प्रस्तुत की गई।

इस पर अपील को दिनांक 9.12.2019 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब कर, अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त होन पर, प्रकरण मे उभयपक्ष की अंतिम बहस उभयपक्ष की सुनी गई।

अपीलांट के अभिभाषक ने दौराने बहस व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर मौजूद कानूनी मान्यता प्राप्त तथ्यों एवं संचिका मे सिद्वी प्राप्त तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली का सही तरह से अवलोकन किये बिना तथा कब्जे बाबत पुष्टि हुए बिना एकतरफा निर्णय दिया है। अपीलांट को सुनवायी एवं जवाब [illegible] पर्याप्त अवसर नही दिया गया है। जिससे अपीलांट के साथ न्याय नहीं हुआ है। [illegible] आराजी से अपीलांट द्वारा कब्जा छोड दिया गया है। वर्तमान मे आराजी पूरी तरह से [illegible] है। अपीलांट का कोई कब्जा नही है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर पडोसी खेत वालो की कब्जे बाबत कोई साक्ष्य नही है फिर भी अपीलांट को अतिक्रमी मानकर सजायाब किया जाकर जेल भिजवा दिया गया है। जो वर्तमान मे जेल मे बन्द है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.03.01 13:24:52 IST
Reason: SelfAttested

उक्त निर्णय की अपीलांट को कोई जानकारी नही थी। सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 4.12.2019 को होने पर नकल हेतु आवेदन किया और दिनांक 5.12.2019 को नकल प्राप्त होने पर यह अपील अवधि मध्य पेश है। धारा 5 मियाद अधिनियम का आवेदन पृथक से प्रस्तुत है। अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.10.2019 से दी गई सजा को अपीलांट के परिवार की पारिवारिक एवं आर्थिक स्थिति को देखते हुये भुगती गई सजा को छोडकर शेष सजा माफ की जावे।

इसके विपरीत पेरोकार सरकार द्वारा कथन किया गया कि अपीलांट द्वारा सरकारी भूमि किस्म सिवायचक पर फसल मक्का की बुवाई की जाकर पर अतिक्रमण किया गया है। अपीलांट को धारा 91 का नोटिस जारी किया गया ओर तामील करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में बेदखली एवं शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाकर, अपीलांट की पारिवारिक एवं आर्थिक कमजोर स्थिति को देखते हुये अपीलांट द्वारा भुगती गई सजा को छोडकर शेष सजा माफ की जा सकती है।

मेरे द्वारा उभयपक्षो के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सरकारी भूमि वाके ग्राम रीछडी जागीर तहसील छबडा के खसरा नम्बर 53 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा पर अतिक्रमण कर फसल मक्का की बुवाई किये जाने पर 90 दिन की सिविल कारावास की सजा एवं 125/— रूपये तावान राशि से निर्णय दिनांक 11.10.2019 से दण्डित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का के बयान लिये गये है ओर अपीलार्थी को पटवारी के बयानो में जिरह का अवसर नही दिया गया है तथा दो स्वतंत्र गवाहों के बयान भी नही लिये गये है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय की तकनिकी त्रुटी होना पाया जाता है।

अतः परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा द्वारा प्रकरण संख्या 576/2019 में पारित आदेश दिनांक 11.10.2019 में बेदखली एवं शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अपीलांट को उक्त आदेश से दी गई सिविल कारावास की (90 दिन) की सजा, मे से भुगती गई सजा को छोडकर शेष सजा को इस शर्त पर माफ किया जाता है कि तहसीलदार छबडा द्वारा आई.एल.आर. स्तर के अधिकारी से मौके पर 2 बार विवादित आराजी पर अतिक्रमण होने की जॉच कराई जावे, यदि अपीलांट का विवादित आराजी वाके ग्राम रीछडी जागीर तहसील छबडा के खसरा नम्बर 53 की रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि किस्म सिवायचक पर कब्जा नही पाया जावे, तो तहसीलदार, छबडा द्वारा प्रकरण संख्या 576/2019 मे अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत पारित आदेश दिनांक 11.10.2019 से दी गयी सिविल कारावास की सजा, मे से भुगती गई सजा को छोडकर शेष सजा माफ रहेगी अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबडा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.[illegible] यथावत रहेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.03.01 13:24:52 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 16.12.2019 को [illegible] इजलास मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मोहम्मद अबूबक्र)
अति0 जिला कलक्टर, बारॉ

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2020.01.08 16:16:41 IST
Reason: SelfAttested
Location: